25-10/2004/DD-III/NI(RCI)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

<u>अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली की नियुक्ति</u>

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (इसमें इसके बाद "इस अधिनियम") की धारा 3(1) के तहत किया गया है। अध्यक्ष द्वारा इस परिषद की अध्यक्षता की जाती है। इस परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं:-

2. इस अधिनियम के अध्याय III में दिए गए अनुसार आरसीआई के कार्य का सारांश नीचे दिया गया है :-

i. दिव्यांगजनों से संबंधित पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण, अनुमोदन और नियंत्रण करना;

ii. विभिन्न विदेशी डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के साथ-साथ भारतीय डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को पारस्परिक मान्यता देना;

iii. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले पुनर्वास पेशेवरों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना; और

iv. पुनर्वास पेशेवरों के लिए आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता के मानकों को निर्धारित करना।

3. भारतीय पुनर्वास परिषद विनियमन, 1997 के विनियमन 4 के अनुसार अध्यक्ष, आरसीआई की शक्तियां और कर्त्तव्य है कि वह :-

i. इस परिषद और इसकी समितियों की उचित कार्य पद्धति और इस परिषद अथवा उस समिति द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और इन विनियमन अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

ii. इस परिषद के सभी अधिकारियों और कार्मिकों पर ऐसे पर्यवेक्षी और प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करना जो इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

iii. इस अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, अध्यक्ष को, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम और विनियमन के प्रावधानों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का इरादा रखते हुए, लोक सेवक माना जाता है।

4. इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार नियुक्ति की अवधि: इस नियुक्ति की तारीख से दो साल तक या उनके उत्तराधिकारी की विधिवत नियुक्ति होने तक, जो भी अधिक हो, की अवधि होगी।

5. स्वीकार्य भत्ते: - इस अधिनियम की धारा 8(3) के तहत, आरसीआई के अध्यक्ष को निम्नानुसार भत्ते का भुगतान किया जाता है:-

i. दो टेलीफोन एसटीडी सुविधा सहित, एक आवास पर और एक कार्यालय पर, जिनके शुल्क की प्रतिपूर्ति वित्त मंत्रालय के दिनांक 14.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, भारत सरकार के सचिव के लिए लागू अधिकतम सीमा तक सीमित है। इसी प्रकार, आवासीय टेलीफोन शुल्क के लिए अधिकतम मासिक प्रतिपूर्ति राशि ₹2800/- प्रति माह (सभी करों को छोड़कर) है।

ii. आवास और कार्यालय के बीच आने-जाने तथा मुख्यालय स्टेशन के भीतर आधिकारिक यात्रा के लिए किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए विद्यमान अनुदेश के अनुसार किराये पर वाहन उपलब्ध कराना।

iii. शिक्षा विभाग के दिनांक 23.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/3/2008-ई.IV के माध्यम से संशोधित यात्रा भत्ता नियमों के तहत निर्धारित उच्चतम ग्रेड के सरकारी अधिकारी को स्वीकार्य यात्रा भत्ता।

6. आयु सीमा: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं।

7. पात्रता:

7.1 इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष, पुनर्वास, दिव्यांगता और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर योग्यता सहित प्रशासन में अनुभव रखने वाला हो।

7.2 शैक्षिक योग्यता और अनुभव:-

(i) शैक्षिक योग्यता:

अनिवार्य: पुनर्वास, दिव्यांगता या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर योग्यता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

वांछनीय: सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री/प्रबंधन में डिग्री/कानून में डिग्री।

(ii) अनुभव: पुनर्वास, दिव्यांगता या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट स्तर पर कार्य कर रहे संगठनों में कार्यरत हो अथवा उनमें कार्य किया हो:-

(क) केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/अर्ध-सरकारी स्वायत्त निकाय में ग्रुप 'ए' स्तर के पद पर 20 वर्ष तक कार्य किया हो;

अथवा

(ख) किसी पंजीकृत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठन या किसी प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संगठन में - उसके प्रमुख के रूप में या अन्य वरिष्ठ स्तर के पद पर न्यूनतम 20 वर्षों तक कार्य किया हो;

अथवा

(ग) किसी शैक्षणिक संस्थान में - न्यूनतम 5 वर्षों तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया हो तथा न्यूनतम दो वर्षों तक विभागाध्यक्ष/डीन/संस्थान के प्रमुख के रूप में कार्य किया हो।

8. **आवेदन प्रक्रिया:**

(i) उपरोक्त पैरा 7 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में, समर्थित दस्तावेजों के साथ, श्री सुल्तान सिंह मीना, अवर सचिव, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर 520, 5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 को एंप्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर आवेदन भेज सकते हैं।

(ii) जिन उम्मीदवारों ने पिछली बार आरसीआई के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा।

(iii) आवेदन पत्र https://depwd.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

****

अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) की
नियुक्ति के लिए आवेदन प्रपत्र

उम्मीदवार का फोटो

1. (क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में):

(ख) पता

(ग) टेलीफोन नंबर_____(का.)_____(नि.)_____(मोबाइल)_____

(घ) ई-मेल आईडी

2. जन्म तिथि:

3. (क) शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं:

उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण/पूरा करने का वर्ष	संस्था	अंकों का %/ग्रेड	मुख्य विषय
हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
पीएच.डी.				
कोई अन्य				

(ख) प्रकाशित शोध पत्र (संक्षेप में विवरण लिखें):

शोध पत्र का शीर्षक	जर्नल का नाम	क्या संदर्भित है	किस अंक में प्रकाशित हुआ

4. अनुभव का विवरण:

कार्यालय/ संगठन	संगठन की गतिविधियाँ	संगठन की प्रकृति	धारित पद सहित वेतनमान समेकित वेतन	सेवा की अवधि कब से कब तक	नियुक्ति की प्रकृति क्या है नियमित/ तदर्थ / प्रतिनियुक्ति /मानद	ड्यूटी/ नौकरी का विवरण

5. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में करना चाहेंगे।

6. सरकारी संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को सतर्कता मंजूरी और अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार इस आशय की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इसी प्रकार, गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

7. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग से संबंधित हैं? _____

8. आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई सूचना/दस्तावेज अपर्याप्त हों तो उस स्थिति में संदर्भ के लिए दो व्यक्तियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जिनसे अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जा सकती है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पत्र व्यवहार हेतु पूरा पता _____

अनुबंध- I

स्व-घोषणा - "कोई आपराधिक मामला नहीं"

मैं, ……..., पुत्र/पुत्री श्री……,

निवासी …….

एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया है और मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और न ही मुझे पूर्व में किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान: